

आवेदन पत्र के सम्बन्ध में जांच की गई। निम्नलिखित अनुसार
श्रीमान, पौखी द्वारा प्रस्तुत आधारकार्ड, मतदाता पहचानपत्र परिवार रेशनकार्ड
व शपथ पत्र तथा ग्राम पंचायत द्वारा सत्यापन के आधार पर हीमल पुत्र साधु
के (पान पर अनुत्तराम पुत्र साधु) के पान प्रमाणित है।

कार्यालय तहसीलदार, उदयपुरवाटी (गुडगाँव) जिला बुधनू (राज.)
दिनांक :- 23/11/21

क्रमांक : राजस्व / 2020 /

मूल ही उपरोक्त अधिकारी को उदयपुरवाटी की जांच कर विवरण दे कि आवेदन पत्र में वर्णितानुसार आवेदन
का नाम दुरुस्त किया जाना उचित है, अतः "अमान्य" है। आवेदन पत्र नाम दुरुस्त है। अतः अभियान की जांच में / -
की जाती है।

उगत किता जाग उक्ति है

23/11/21

तहसीलदार, उदयपुरवाटी (गुडगाँव)
उदयपुरवाटी (बुधनू)

1520
23/11/21

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर उदयपुरवाटी जिला बुधनू (राज.)
-- आदेश :-

दिनांक :- 23/11/21

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दरतावेजी राहत एवं तहसीलदार (गुडगाँव) उदयपुरवाटी/गुडगाँव की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसार निम्नलिखित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (गुडगाँव) उदयपुरवाटी/गुडगाँव की राहत में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	जमायन्दों संख्या	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व में दर्ज की जानी है।)
01	पौरक	2075-78	101	हीमल पुत्र साधु	अनुत्तराम पुत्र साधु

नोट :- शेष प्रविष्टियाँ यथावत रहेंगी तथा यदि उगत भूगि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरांत ही पालना की जावे।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

दिनांक :-

23/11/21

क्रमांक :- राजस्व / 2020 / 1189-90

प्रतिनिधि :-

1. तहसीलदार (गुडगाँव) उदयपुरवाटी/गुडगाँव को वारं वार पालनाथ।
2. प्रार्थी/प्रार्थीया को सूचनाथ।



उपखण्ड अधिकारी